"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 मई 2013—ज्येष्ठ 8, शक 1935

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2013-04-00020/वित्त/नियम/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 10 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) ऐसे किसी भी पेंशनर का, जिसने उसकी पेंशन का एक भाग कम्यूट किया हो, सारांशीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् आगामी मास के प्रथम दिवस को, उसकी पेंशन का कम्यूट किया गया हिस्सा प्रत्यावर्तित हो जाएगा."

Raipur, the 27th May 2013

NOTIFICATION

No. F-2013-04-00020/Finance/Rules/IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (1) of rule 10, the following shall be substituted, namely :—

"(1) A pensioner who has commuted a portion of his pension shall have his commuted portion of pension restored from the first day of the following month after 15years from the date of Commutation."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.